सं0सं09 / कोर्ट–10–22 / 2018
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

डा0 विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालंदा पुनः चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, रानीगंज, अररिया, सम्प्रति बर्खास्त, के विरूद्ध दिनांक– 24.04.09 को 3000/- (तीन हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने, निगरानी थाना कांड सं0–42 / 09 दिनांक– 24.04.09 दर्ज किये जाने तथा जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों से नाजायज राशि वसूल करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1355(9) दिनांक– 02.12.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर विभागीय अधिसूचना सं0–771(9) दिनांक– 25.08.11 द्वारा निम्नलिखित दंड दिया गया थाः–

(क) निगरानी न्यायालय में चल रहे मामले के निर्गय तक प्रोन्नति पर रोक।
(ख) तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव से बिना कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।
(ग) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

2. डा0 विजय कुमार के विरूद्ध अपने विधि सम्मत कर्तव्य के लिए रिश्वत की राशि प्राप्त करने जैसे गंभीर आरोप को देखते हुए उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0–771(9) दिनांक– 25.08.11 द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त दंड को डा0 कुमार द्वारा कृत कदाचार के अनुपात में कम पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–28 के तहत पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं विधि विभाग, बिहार, पटना के परामर्शानुसार डा0 कुमार से विभागीय पत्रांक–916(9) दिनांक– 09.10.2014 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

3. डा0 विजय कुमार द्वारा दिनांक 10.11.2014 को समर्पित अपने अभ्यावेदन में यह तर्क दिया गया कि उनके दिनांक– 30.09.2011 को अपने दंड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन का निष्पादन नहीं किया गया है। अतः इन्हें अधिसूचना सं0–771(9) दिनांक– 25.08.11 द्वारा प्रदत्त दंडादेश का पुनरीक्षण नियम संगत नहीं है। तदालोक में समीक्षोपरान्त विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–334(9) दिनांक– 28.04.15 द्वारा डा0 विजय कुमार के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उन्हें प्रदत्त दंड को CCA Rule 2005 के नियम–28 के तहत पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया तथा संपूर्ण मामले को पुर्नसमीक्षोपरान्त डा0 विजय कुमार को भ्रष्ट आचरण (misconduct) के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007 के नियम–14(xi) के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

4. उपर्युक्त प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत विभागीय संकल्प सं0 1304(9) दिनांक– 20.12.17 द्वारा डा0 विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालंदा, सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज, अररिया को भ्रष्ट आचरण (misconduct) के लिये "बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007" की कंडिका–2 के नियम–14(XI) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया।

5. डा0 विजय कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–8177/2015 दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 09.07.2018 को पारित न्यायादेश इस प्रकार है:–

"The Bihar CCA Rules, 2005 provides the procedure to ensure compliance with fairness and observance with Principle of Natural justice in the matter of the conduct of departmental enquiry against a delinquent. The procedure prescribed in the Bihar CCA Rules, 2005 is to ensure fairness so that no one who is innocent should be punished. The respondent State authorities are, therefore, under legal obligation to ensure compliance with the procedure prescribed under the Bihar CCA Rules, 2005. Order dated 20.12.2017 issued by the departmental bearing Memo no 1304(9) inflicting severe punishment of dismissal upon the petitioner and having such grave civil consequence in violation of the procedure prescribed under the Bihar CCA Rules and in violation of the principle of Natural Justice and fairness is unsustainable and hereby quashed.

Since the proceedings, after submission of the enquiry report up to invocation of revisional jurisdication, have been found to be in gross violation of the principles of Natural Justice and fair play and specifically violative of procedure prescribed under the Bihar CCA Rules, 2005 the entire proceedings after submission of the enquiry report as well as order of punishment dated 25.8.2011 (Annexure 7) is also quashed.

As a result of quashing of the punishment order, the petitioner would be entitled to all consequential benefits.

The writ petition is allowed".(परिशिष्ट–1)

6. उपर्युक्त न्यायादेश के विरूद्ध सरकार की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में एल0पी0ए0 सं0–1510/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 23.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:–

"We, therefore, dispose of this appeal that in the event, the appellants choose to re-initiate the proceedings of enquiry as per the observations made by the learned Single Judge, then the same shall not be done, unless the respondent-petitioner is reinstated in service and is extended the benefits that have been granted by the learned Single Judge". **(परिशिष्ट–2)**

7. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–8177/2015 में दिनांक– 09.07.2018 को पारित न्यायादेश (उपर्युक्त कंडिका–5) के अनुपालन के लिए वादी (डा0 विजय कुमार) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एम0जे0सी0 सं0–3649/2018 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 24.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:–

"In view of order dated 23.04.2019 passed in LPA No 1510 of 2018, matter is adjourned to four weeks for further consideration.

In the meantime, it is expected that in terms of the order of this Court as also the order of Division Bench in LPA N0 1510 of 2018, respondents would consider extending to the petitioner all the benefits in terms of the said two orders". **(परिशिष्ट–3)**

8. उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में डा0 विजय कुमार को तत्काल सेवा में पुर्नस्थापित करते हुए उनके विरूद्ध (नये सिरे से) विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

9. अतः सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–8177/2015 में दिनांक– 09.07.18 को पारित न्यायादेश, एल0पी0ए0 सं0–1510/2018 में दिनांक– 23.04.2019 को पारित न्यायादेश एवं एम0जे0सी0 सं0–3649/2018 में दिनांक– 24.04.19 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डा0 विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालंदा पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज, अररिया, को बर्खास्त करने संबंधी संकल्प सं0– 1304(9) दिनांक– 20.12.17 को निरस्त करते हुए सेवा में पुर्नस्थापित किया जाता है। डा0 विजय कुमार प्रशाखा–2, स्वास्थ्य विभाग में अविलम्ब योगदान समर्पित करेंगे।

10. इस आशय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की दिनांक 21.6.2019 की बैठक में उपस्थापित प्रस्ताव सं0 8 के रूप में प्रदत्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/06/19

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 676 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 28/06/2019

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सहरसा, /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना, पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां / सिविल सर्जन नालंदा/अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालंदा पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज, अररिया, पता–मोहल्ला–बारीयुशुफपुर, पो0–हाजीपुर, वैशाली, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/06/19

सरकार के अवर सचिव।